

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....

से.....

जिला-खगड़िया.....

,सा०.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-३५ / 2019-20 राज्य बनाम अलौली थाना कांड संख्या:-66 / 2019

सआदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाही का दिनांक तारीख
27.04.2019	<p style="text-align: center;">02.</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना, अलौली में दर्ज कांड संख्या:-66/2019 दिनांक 02.03.2019 में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1102/हि०शा०, दिनांक 23.03.2019 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, अलौली के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 05 देशी शराब में से 01 लीटर देशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को जाँच हेतु भेजा गया है तथा शेष कुल-4.00 लीटर देशी शराब थाना, अलौली के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई विदेशी शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4.00 लीटर देशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, कांड संख्या-66/2019 के आधार पर जप्त की गई शेष कुल-4.00 लीटर देशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p> <p style="text-align: right;">समाहर्ता, खगड़िया।</p>	


क्रम सं०
और तारीख

1.

बारे में टिप्पणी
तारीख-सहित

03.

डी०बी० नं० १५१)...../विधि, दिनांक १५/५/२०१९.....
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली/उत्पाद
अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा
की जाय।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
